झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
पंचदश (बजट)–सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक–16 माघ, 1940 (श0) को 05 फरवरी,2019 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभाग को संसूचित की गई सा0सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
क 63	अ0सू0–18	श्री आलमगीर आलम	रिक्त आरक्षित सीटों पर सीधी भर्त्ती करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.01.19
112.	अ0सू0–20	श्री सुखदेव भगत	खदानों का रिनिवल तिथि बढ़ाना	खान एवं भूतत्व	23.01.19
113.	अ0सू0–21	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	स्थानीय युवकों की नियुक्ति करना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25.01.19
114.	अ0सू0–26	श्री अरूप चटर्जी	अंशकालीन व्याख्याताओं की नियुक्ति करना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	31.01.19
115.	अ0सू0–28	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	वन क्षेत्र पदाधिकारी को प्रोन्नति देना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	31.01.19
116.	अ0सू0–23	श्री राजकुमार यादव	दोषियों पर कार्रवाई	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	28.01.19

01.	02.	03.	04.	05.	06.
117.	अ0सू0-19	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	नियमित पद पर नियुक्त करना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.01.19
118.	अ0सू0-25	श्री राधाकृष्ण किशोर	वन्य प्राणी की रक्षा	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	30.01.19
119.	अ0सू0-22	श्री प्रकाश राम	नियमावली बनाना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	28.01.19
120.	अ0सू0-27	श्री प्रदीप यादव	कठोर कार्रवाई करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	31.01.19
121.	अ0सू0-29	श्री प्रदीप यादव	उच्चस्तरीय जाँच कराना	खान एवं भूतत्व	31.01.19
122.	अ0सू0-11	श्रीमती गीता कोड़ा	क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई कराना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.01.19
123.	अ0सू0-24	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	साकारात्मक पहल करना	उद्योग	29.01.19
124.	अ0सू0-14	श्रीमती गीता कोड़ा	खेल पदाधिकारी की नियुक्ति करना	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद	20.01.19
125.	अ0सू0-03	श्री शिवशंकर उराँव	रोजगार परक शिक्षा दिलाना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21.01.19

नोट :-'क'63 दिनांक-29.01.19 को सदन से दिनांक-05.02.2019 के लिए स्थगित।

राँची
दिनांक-05 फरवरी (ई0)

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-04/2015-1079/वि0स0, राँची, दिनांक- 01/02/19

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

01.02.19
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015–.....1079...../वि0स0, राँची, दिनांक– 01/02/19

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव, (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

01.02.19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015–.....1079...../वि0स0, राँची, दिनांक– 01/02/19

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा, प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

01.02.19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

01/02/19

उत्तर पुस्तिका "क"

63. श्री आलमगीर आलम--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शार्तें नियमावली, 2015 के अध्याय 6 के कंडिका 9(1) में स्पष्ट अंकित है कि प्रारम्भिक विद्यालयों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित सीट खाली रहने पर उन खाली सीटों को वर्तमान बहाली से सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों से भरा जाएग;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित प्रावधान का अनुपालन नहीं करने से राज्य में प्रारम्भिक विद्यालयों के लिए आरक्षित 4500 सीट खाली है, जबकि सीधी भर्ती के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित नियमावली के अध्याय 6 के कंडिका 9(1) का अनुपालन कर प्रारम्भिक विद्यालयों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित खाली सीटों पर वर्तमान बहाली से सीधी भर्ती के योग्य अभ्यर्थियों से भरने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--

(1) अद्यतन वस्तुस्थिति निम्न है:-

क्र०	जिला का नाम	सीधी 75 प्रतिशत पर संख्या	JSCC द्वारा अनुशंसित संख्या
1	दुमका	657	409
2	जामताड़ा	376	219
3	पाकुड़	349	227
4	साहेबगंज	444	242
5	गोड्डा	694	384
6	देवघर	515	282
7	लातेहार	419	211
	कुल	**3454**	**1974**

उक्त से स्पष्ट है कि सीधी नियुक्ति के लिए चिन्हित पदों के विरूद्ध मात्र 57.15 प्रतिशत ही सुयोग्य अभ्यर्थी प्राप्त है । इस तरह सीधी नियुक्ति के पद ही नहीं भरे है । वैसे स्थिति में अन्य श्रेणी में चयन का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(2) कंडिका-01 में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

(3) कंडिका-01 में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

नोट:- "क" 63 दिनांक 29 जनवरी, 2019 को सदन से दिनांक 05 फरवरी, 2019 के लिए स्थगित ।

112

श्री सुखदेव भगत, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.02.2019 को पूछा जाने वाला अ0सू0–20

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

माननीय मंत्रीः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2017 में माइनर मिनरल एक्ट के तहत वर्ष 2017 के बाद सभी पत्थर खदानों का रिनिवल 31 मार्च 2020 तक ही किया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम–9 (1) (च) के अनुसार लघु खनिज खनन पट्टा का अवधि विस्तार 31 मार्च 2020 तक ही किया गया है। नियम 9(1) (च) निम्नवत हैः– सरकारी क्षेत्र एवं 05.00 हे0 क्षेत्र से अधिक के रैयती क्षेत्र पर प्राप्त वैसे खनन पट्टे, जो नवीकरण अंतर्गत थे एवं पर्यावरणीय स्वीकृति/खनन योजना प्राप्त नहीं रहने के कारण कालतिरोहित हो गये हो, उनके पट्टे की अवधि पट्टा स्वीकृति/नवीकरण की तिथि से 31 मार्च, 2020 तक के लिए अवधि विस्तार मानी जाएगी, बशर्ते कि अधिसूचना की तिथि के पूर्व खनन पट्टा के अस्वीकृति/रद्द/व्ययगत होने का आदेश नहीं पारित किया गया है, परन्तु वैसे खनन पट्टे पर कोई खनन तब तक नहीं किया जा सकेगा, जबतक की खनन योजना स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाता है। आवेदक को सभी वांछित अनापत्ति 180 दिनों के अन्दर समर्पित करना होगा।
2-	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छोटे–छोटे खदानों का रिनिवल करने की तिथि 31 मार्च 2020 से आगे बढ़ाना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उक्त नियम में लघु खनिज खनन पट्टा का अवधि विस्तार मार्च 2020 के बाद किये जाने का प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– ख0नि0(वि0स0/अ0सू0)–17/2019 217 /एम0, राँची, दिनांक– 31.1.19

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 832 दिनांक 23.01.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/19

सरकार के अवर सचिव

113

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र में दिनांक 05.02.2019 को श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–21 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ क्षेणी का सैकड़ों पद रिक्त है;	–	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय विज्ञापन संख्या–01/2019 अन्तर्गत सभी राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक एवं बी0आई0टी0 सिन्दरी संस्थानों में स्वीकृत वर्ग–03 के कुल–235 रिक्त पदों विरूद्ध संविदा के आधार पर इच्छुक सेवानिवृत अहर्त्ताधारियों को ग्रेड–पे के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा ली गई है जिसके लिए आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 31.01.2019 निर्धारित की गई है;	–	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में सैकड़ों स्थानीय बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में भटक रहे है जिनके उम्र की समय–सीमा समाप्ति की ओर है;	–	आंशिक स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–02 में वर्णित नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर उक्त पद पर नियमित नियुक्ति या राज्य के स्थानीय योग्यताधारी बेरोजगार युवकों को संविदा पर नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	–	उपर्युक्त कंडिका–2 से संबंधित संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं0–01/2019 को तकनीकी निदेशालीय पत्रांक–91, दिनांक–30.01.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा चुका है।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपालहाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– 01उ0त0/वि0स0–14/19 १९५ /राँची, दिनांक– 04.02.19

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 916 दिनांक 25.01.2019 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.2.19
(सरकार के अवर–सचिव)

(114)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र में दिनांक 05.02.2019 को श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–26 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य भर के सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में विगत पांच वर्षो से कार्यरत अंशकालीन व्याख्याताओं को वर्त्तमान समय में विभाग द्वारा सेवा मुक्त करते हुए इनके स्थान पर नये अंशकालीन व्याख्याताओं को नियुक्त किया जा रहा है, जैसेः–राजकीय पोलिटेकनिक कॉलेज, खुटरी (बोकारो) राजकीय पोलिटेकनिक कॉलेज, धनबाद GWP रांची, GWP, बोकारो, GWP जमशेदपुर इत्यादि।	– आंशिक स्वीकारात्मक वस्तुतः विभागीय संकल्प सं0 2890 दिनांक 11.12.2015 की कंडिका–5 में प्रावधानित है कि "अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यानुमति प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए कार्यादेश निर्गत किया जाएगा। अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यादेश प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व संस्थान निर्गत किया जाएगा। किसी भी अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यानुमति हेतु आदेश एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए निर्गत किया जाएगा। पूर्व में निर्गत इससे संबंधित सभी कार्यादेश इसी शैक्षणिक सत्र तक लागु रहेंगे।" उक्त प्रावधान के अनुरूप सभी अंशकालीन व्याख्याताओं को जो पूर्व से कार्यरत हैं को भी साक्षात्कार में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विषयों के आधार पर उक्त सेवा मुक्त कार्य इन अंशकालीन व्याख्याताओं के सेवा शर्त्त के प्रतिकूल वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय, झारखण्ड के भी दिशा निर्देशों के विरूद्ध है।	– अस्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 के आधार पर उक्त पूर्व नियुक्त अंशकालीन व्याख्याताओं को अपने–अपने कार्यो में बने रहने देने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	– उपरोक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपालहाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– 01उ0त0/वि0स0–17/19 196 /राँची, दिनांक– 04.02.19

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1047 दिनांक 31.01.2019 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.2.19
सरकार के अवर सचिव

(115)

प्रो0 स्टीफन मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.02.2019 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–28 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वन विभाग में राज्य लोक सेवा आयोग से सीधी भर्त्ती से नियुक्त वन क्षेत्र पदाधिकारी बिना किसी प्रोन्नति के सेवानिवृत हो जाते है जबकि कार्मिक विभाग के स्थापित नियमानुसार सभी संवर्ग के कर्मियों को सेवाकाल में कम से कम तीन प्रोन्नति पाने का प्रावधान है ;	वर्त्तमान में कुल कार्यरत 48 सहायक वन संरक्षकों में से 20 सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग से प्रोन्नत हैं। वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा की नई सेवा नियमावली विभागीय अधिसूचना संख्या–5052 दिनांक–17.12.2018 द्वारा अधिसूचित की गयी है। जिसमें वित्त विभाग के परामर्शानुसार वन क्षेत्र पदाधिकारियों की प्रोन्नति के दो पदसोपान निर्धारित किये गये हैं। उक्त नियमावली में यह भी प्रावधानित है कि नियमावली के प्रभावी होने की तिथि को जो वन क्षेत्र पदाधिकारी सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नति की अर्हता रखते हों, उन्हें पुरानी नियमावली के अनुसार सीधे सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाएगी। रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने या प्रोन्नति प्रदान करने में विलंब की स्थिति में ACP/MACP के अन्तर्गत कुल तीन वित्तीय उन्नयन दिये जाने का प्रावधान है।
(2) क्या यह बात सही है कि सहायक वन संरक्षक के कुल स्वीकृत बल के विरूद्व 110 से अधिक पद रिक्त पड़े है ;	वर्त्तमान में सहायक वन संरक्षक संवर्ग में 108 पद रिक्त हैं, जिनमें सीधी नियुक्ति में 50 तथा प्रोन्नति कोटा में 58 रिक्तियाँ हैं।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वन क्षेत्र पदाधिकारी के हित में प्रोन्नति द्वारा उन्हें सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में अंकित तथ्यों के आलोक में सहायक वन संरक्षक संवर्ग के प्रोन्नति कोटा में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्व वन क्षेत्र पदाधिकारियों की प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–43 / 2019– 564 व0प0, राँची, दिनांक– 04-02-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1048 दिनांक– 31.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/19

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

VIDHAN SABHA-2019 V.K

(116)

श्री राजकुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.02.2019 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात राही है कि 2015 16 में वन विभाग द्वारा निकाले गये वनरक्षियों के नियुक्ति के मामले के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग में डॉक्टरों द्वारा किये गये नियुक्ति घोटाला उजागर हुआ था ;	अरवीकारात्मक। वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–4068 दिनांक–04.09.2014 द्वारा गठित झारखण्ड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम–11 के आलोक में स्वास्थ्य, चिकित्सा क्षिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था।
(2) क्या यह बात सही है कि चयनित योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वास्थ्य जांच के आधार पर होनी थी, लेकिन डॉक्टरों ने किसी की आंखों में खामी तो किसी का समतल पैर (फ्लैट फीट) आदि ज रिर्पोट में अयोग्य करार देकर मेडिकल फिटनेस देने से इंकार कर दिया था ;	स्वास्थ्य, चिकित्सा क्षिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–50 दिनांक–01.02.2019 द्वारा इस कंडिका का उत्तर उपलब्ध करा दिया गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मामला माननीय उच्च न्यायालय में आने के बाद दुवारा रिम्स में गठित शिर्ष मेडिकल बोर्ड ने 34 अभ्यर्थियों को योग्य पाया व पहले बहाल 28 अभ्यर्थियों को संस्मुति वापस लेने/नौकरी से हटाने का आदेश दिया है ;	उपर्युक्त कंडिका–1 में वर्णित संवर्गीय नियमावली में चिकित्सीय जाँच से असंतुष्ट अभ्यर्थियों के अपील को कोई प्रावधान नहीं था, परन्तु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) No-670/2017 जितेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश्य मामलों में Apex Medical Board गठन करने का न्यायादेश पारित किया गया। इसके अनुपालन में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा Apex Medical Board का गठन किया गया था। इस बोर्ड द्वारा चिकित्सीय जाँच में पूर्व में असफल घोषित अभ्यर्थी को सफल घोषित होने के फलस्वरूप संशोधित अनुशंसा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भेजी गई हैं एवं रिक्ति पूर्ण हो जाने के कारण मेधाक्रम में नीचे स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को अनुशंसा सूची से बाहर रखा गया है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिर्ष मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य 34 अभ्यर्थियों की नियुक्ति व 28 पहले बहाल को नौकरी से हटानें का आदेश तथा पूर्व मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों के फिटनेश देने में इंकार करने के दोषियों को चिन्हित कर दंडित करने तथा पूर्व के कर्मियों के प्रशिक्षण/वेतन भुगतान में हुए खर्च को डॉक्टरों से वसुल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	Apex Medical Board द्वारा योग्य घोषित 34 अभ्यर्थियों की नियुक्ति तथा पूर्व से कार्यरत 28 वनरक्षियों को सेवा में बनाये रखने का निर्णय मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में संपन्न उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। इस हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व गठित Medical Board के चिकित्सको के विरूद्व कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन की माँग स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से की गयी है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–34/2019– 579 व0प0, राँची, दिनांक– 04.02.2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–942 दिनांक–28.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/2/19

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

VIDHAN SABHA-2019 V.K

(117)

427
04/02/2019

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-19

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा की पढ़ाई प्रारंभ करते हुए अनिवार्य कर दी गई है जिसकी पढ़ाई व रख-रखाव की जिम्मेदारी एक निजी कम्पनी को दी गई है जिसपर प्रतिवर्ष 10 (दस) करोड़ रूपयें राशि खर्च करने की योजना है ;	अस्वीकारात्मक। 1. राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की पढ़ाई अभी अनिवार्य नहीं की गई है। 2. राज्य के 465 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (+2) विद्यालयों में ICT School योजना संचालित की जा रही है। 3. 240 सरकारी मध्य विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (CAL) की व्यवस्था की गई है। 4. उक्त योजना का संचालन Boot Model पर राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में कार्य कर रही प्रतिष्ठित कम्प्यूटर शिक्षा सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है। 5. उपरोक्त दोनों योजनाओं का विगत 03 वर्षों का वार्षिक बजट उपबंध तथा व्यय विवरणी निम्नवत् है :- ICT@School (Under RMSA and Samagra) (लाख में) वर्ष | उपलब्ध राशि | व्यय 2017-18 | 2873.60 | 1477.78 2018-19* | 1506.40 | 2799.13 **Total** | **4380.00** | **4276.91** *Expected Expenditure Till March 2019, यह पांच वर्षीय आधार पर संचालित है। CAL (Under SSA) (लाख में) वर्ष | उपलब्ध राशि | व्यय 2016-17 | 1200.00 | 925.76 2017-18 | 1200.00 | 0.14 Total | 2400.00 | 925.90 6. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 510 विद्यालयों में योजना को लागू करने की टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। 7. विभिन्न जिलों में स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर शिक्षा तथा जमशेदपुर/गोड्डा इत्यादि में CSR/DMFT के तहत भी की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित शिक्षा गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, धनबाद सहित कई अन्य जिलें में अबतक प्रारंभ नहीं की गई है जिसका लाभ संबंधित जिलें के छात्र-छात्राओं को नहीं मिल रही है;	अस्वीकारात्मक। वर्णित जिलें गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों में ICT योजना अन्तर्गत विभिन्न चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा नियमित रूप से संचालित है।

3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित शिक्षा कार्य संचालन हेतु बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बी0टेक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन की गई है जबकि राज्य में उक्त योग्यता व अर्हरता की अनदेखी कर उक्त सभी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों को अनुबंध पर नियुक्त की गई है ;	भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान/माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत बूट (Boot) मॉडल पर संचालित होती है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा संचालक का चयन अलग से नहीं किया जाता है। 2. पूर्व में बूट (Boot) मॉडल का संचालन IL&FS एवं RICO कंपनी द्वारा किया जा रहा है। 3. यह कार्य झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के अधीन संचालित है। 4. कतिपय राज्य अपने राज्य संसाधन से अपनी स्कीम भी संचालित करते होंगे। इसकी जानकारी विभाग में अद्यतन नहीं है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में जनहित में खण्ड–1 में वर्णित शिक्षा हेतु खण्ड–03 में वर्णित राज्यों की तर्ज पर निर्धारित योग्यता व अर्हरता वाले अभ्यर्थियों को नियमित पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में उत्तर सन्निहित है।

04/02/2019
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–40/2019 427 राँची, दिनांक 04/02/2019

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02/2019
सरकार के अवर सचिव।

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.02.2019 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–25 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि 1129.93 वर्ग कि0मी0 में फैले पलामू ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र में घास, बाँस तथा पानी (Grass Bamboo Management) की तीव्रता से ह्रास के कारण वन प्राणी यथा बाघ, चीता, हाथी, हिरण इत्यादि की संख्या में घोर कमी आयी है ;	राज्य सरकार का वन विभाग पलामू व्याघ्र आरक्ष में वह सभी व्यवस्थाएँ करने के लिए कटिबद्ध है जो उत्तम बाघ पर्यावास बनाने एवं जैव विविधता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इस दिशा में Tiger Conservation Plan 2013-14 से 2022-23, जो National Tiger Conservation Authority द्वारा अनुमोदित है, को लागू किया जा रहा है। पलामू व्याघ्र आरक्ष में वन/बाघ पर्यावास के सुधार के लिए फरवरी, 2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई निदेश दिये गये थे। इन निदेशों के अनुपालन में अन्य उपायों के साथ इस आरक्ष में पदाधिकारियों/कर्मचारियों की कमी को काफी हद तक दूर किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है, Check-dams का निर्माण किया गया है एवं grasslands का विकास किया गया है। विगत वर्षों में बाघो एवं शाकाहारी वन्यप्राणी की संख्या में हुई कमी के कारण स्पष्ट नहीं है। अतः WWI को लगभग 44 लाख रूपये की लागत पर एक study सौंपी गयी है जिसमें वह बाघों की संख्या एवं prey-base में बढ़ोत्तरी के लिए सुझाव देगें। व्याघ्र आरक्ष के क्षेत्र में बाँस बखारों की सफाई का कार्य भी कराया जा रहा है ताकि हाथियों तथा कुछ वन्यप्राणियों के लिए आहार उपलब्ध हो सके।
(2) क्या यह बात सही है कि पलामू आरक्षित ब्याघ्र क्षेत्र में इको विकास योजना का क्रियान्वयन ठप पड़ा हुआ है ; फलस्वरूप वन संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। इको विकास के लिए पलामू व्याघ्र आरक्ष में वन विभागीय संकल्प संख्या–3658 दिनांक–24.09.2001 के अनुसार 168 इको विकास समितियाँ गठित है। इन इको विकास समितियों को क्रियाशील बनाने के लिए कार्रवाई जारी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 50 इको विकास समितियों की सूक्ष्म योजना का निर्माण कराया गया है जिनकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में अन्य 79 इको विकास समितियों द्वारा सूक्ष्म योजना निर्माण का लक्ष्य है। ये इको विकास समितियाँ मधुमक्खी पालन, बाँस आधारित हस्तशिल्प कार्य, हेनार हनी (मधु) का संग्रहण एवं प्रसस्करण आदि का कार्य कर रही है। वनों की अग्नि से सुरक्षा कार्य इन्हीं समितियों की सहायता से किया जाता है। इसके लिए इन्हें समितियों की सहायता से किया जाता है। इसके लिए इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू आरक्षित ब्याघ्र क्षेत्र में घास, बाँस तथा पानी के समुचित प्रबंधन एवं इको विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्था करना चाहती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–39/2019– 571 व0प0, राँची, दिनांक– 04-02-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1024 दिनांक–30.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/2/19
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

VIDHAN SABHA-2019 V.K

(119)

श्री प्रकाश राम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.02.2019 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–22 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री वन–जन योजना संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत् निजी भूमि पर चन्दन वृक्ष रोपण हेतु राज्य में अब तक "JHARKHAND SANDALWOOD, POSSESSION AND TRANSIT RULE" का निर्माण नहीं हो पाया है ;	निजी भूमि पर चन्दन वृक्ष के रोपण हेतु किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। चन्दन वृक्षों के पातन से प्राप्त प्रकाष्ठ के एक स्थान से अन्य स्थान तक परिवहन हेतु "झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वनोपज के अभिवहन का विनियमन की नियमावली 2004" के प्रावधान के अनुसार अनुमति आवश्यक है।
(3) क्या यह बात सही है कि राज्य के रैयतो उक्त नियम के आभाव में चन्दन वृक्ष रोपन में रूची नहीं ले रहे है ;	अस्वीकारात्मक। चन्दन के प्रकाष्ठ के रोपण एवं परिवहन के लिए कोई अलग से किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। वन विभाग द्वारा चन्दन पौधा उगाकर निःशुल्क वितरण की कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित नियमावली बनाने एवं निःशुल्क चन्दन का पौधा वितरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–33/2019– 563 व0प0, राँची, दिनांक– 04-02-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–941 दिनांक–28.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/2/19
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

(120)

माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव स.वि.स. से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–27 का उत्तर सामग्री

1.	क्या यह बात सही है कि मिड डे मिल में एक ही कंपनी नेफेड से घून लगी दाल की आपूर्ति की शिकायत राज्य के सभी स्कूलों से मिला है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। भारत सरकार के पत्रांक–D.O.No. 5-2/2017-Desk (MDM) दिनांक 29.12.2017 एवं सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के D.O.No. 5-2/2017-Desk (MDM) दिनांक 05.02.2018 के द्वारा केन्द्रीय मंत्रीमंडल के निर्णयानुसार मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कुकिंग कॉस्ट (केन्द्रांश 60% राज्यांश 40%) मद से दाल का क्रय National Agricultural Marketing Federation of India (NAFED) के द्वारा किये जाने के निदेश के आलोक में NAFED को अरहर एवं मसूर दाल की आपूर्ति हेतु स्वीकृति दी गई । (ii) नेफेड भारत सरकार की संस्था है। (iii) कतिपय जिला से अरहर दाल की गुणवत्ता में शिकायत प्राप्त हुई। इस आलोक में सभी जिलों को कार्यालय पत्रांक–348/06.08.2018, 393–394/ 06.09.2018, 424/28.09.2018, 679/02.11.2018, 704/29.11.2018, 714/07.12.2018, 726/19.12.2018 आदि से दाल की गुणवत्ता की जाँच के पश्चात ही उपयोग हेतु पाये गये मात्रा का उठाव एवं वितरण का आदेश दिया गया है। (iv) जिला से अरहर दाल के संबंध में प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार जिलावार स्थिति निम्नवत् है :–

जिला का नाम	खराब दाल की मात्रा
राँची	15 %
खूँटी	6 %
धनबाद	5 %
साहेबगंज	6 %
गोड्डा	320 क्विंटल

		पश्चिमी सिंहभूम — जिला शिक्षा अधीक्षक का पत्रांक 40 दिनांक 01.02.2019 के द्वारा सभी प्र. शि. प्र. पदा. को खराब दाल वापस करने का निदेश दिया गया। खराब दाल गोदाम में वापस किया जा रहा है। (iv) प्रतिवेदन के अनुसार मसूर दाल की स्थिति संतोषजनक है। (v) खराब दाल का भुगतान नेफेड को नहीं किया जायेगा। नेफेड को भी उक्त सूचना दी गई है। नेफेड के द्वारा खराब दाल के बदले अच्छे दाल की प्रतिपूर्ति करने की सूचना दूरभाष पर दी गयी।
2.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार आपूर्तिकर्त्ता के सप्लाई को अविलंब रोकते हुये उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के साथ स्थानीय तौर पर दाल की आपूर्ति स्थानीय लोगों से खरीदने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	भारत सरकार के आदेशानुसार National Agricultural Marketing Federation of India (NAFED) के द्वारा प्रथम त्रैमास के लिए मांग के अनुरुप दाल की आपूर्ति की गयी है। इसके बाद (NAFED) के द्वारा कोई दाल की आपूर्ति नहीं की गई है। (ii) गुणवत्तापूर्ण दाल की अनुपलब्धता की स्थिति में विद्यालयों द्वारा कूकिंग कॉस्ट की राशि से स्थानीय स्तर पर दाल क्रय कर पूर्व के अनुसार योजना संचालित की जा रही है।

अकासिंह 4/2/19

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 15/वि.2-26/19 - 244 /रांची, दिनांक 4.2.2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकासिंह 4/2/19

सरकार के अवर सचिव

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 05.02.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–29

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

माननीय मंत्री:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि JSMDC द्वारा PWC Consultant एजेन्सी को 22 लाख रूपया प्रतिमाह भुगतान पर Advisor Transaction नियुक्ति किया गया है;	M/s PWC Ltd की नियुक्ति Management Consultant Cum Transaction Advisor के रूप में नियमानुकूल निविदा प्रकिया अपनाते हुए निदेशक मंडल के अनुमोदनोपरान्त मासिक रिटेनरशिप 18 लाख की गई है एवं इनका सेवा विस्तार एकरारनामें के अनुरूप प्रत्येक वर्ष संतोषप्रद कार्यकलाप रहने पर दस प्रतिशत की दर से रिटेनरशिप शुल्क में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है। सेवा विस्तार की अवधि अधिकतम तीन वर्ष है।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त Advisor का काम मुख्य रूप से सलाह देने के है जिसमें नियुक्त एजेन्सी पूरी तरह से असफल रही है;	निगम में अधिकारियों की काफी कमी है। M/s PWC Ltd का कार्य निगम में आंतरिक संशाधनों की व्यापक अध्ययन, समीक्षा, सुझाव एवं परामर्श देने के साथ निगम के विभिन्न परियोजनाओं को चालू करने के निमित्त कार्य योजना, निविदा तैयार करना, संचालन हेतु एजेन्सी का चयन करना एवं अन्य वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने, निगम का आधुनिकीकरण करने आदि में सहयोग देना है। इनके प्रयास के फलस्वरूप निगम में बालू घाटों के संचालन के चुनौतीपूर्ण कार्य का निष्पादन करते हुए ऑनलाइन बालू ब्रिकी का कार्य प्रारम्भ किया गया, माईका ढिबरा की नीलामी के महत्वपूर्ण कार्य में सफलतापूर्वक आयोजन में सहयोग, निगम में कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति, चन्दुला सिमलगोड़ा पत्थर परियोजना, बेन्ती बागदा चूनापत्थर परियोजना एवं ज्योतिपहाड़ी कार्यनाईट परियोजना के संचालन हेतु निविदा तैयार करते हुए कार्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही साथ इनके द्वारा तैयार अन्य प्रतिवेदनों के कियान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है, जो निगम के विकास में सार्थक सिद्ध होंगे। समय–समय पर निगम के अन्य कार्यों में भी इनका सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।
3-	क्या यह बात सही है कि Consultant Agency एवं JSMDC के पदाधिकारी मिलकर 22 लाख रूपया प्रतिमाह का बंदरबाँट करते रहे हैं;	यह आरोप स्वीकारात्मक नहीं है। एजेन्सी से पूर्ण रूप से कार्य लिया जा रहा है एवं इनको देय सेवा शुल्क का निर्धारण निविदा के माध्यम से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। इनके द्वारा निविदा शर्तों के अनुरूप उच्च स्तरीय मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त एजेन्सी की नियुक्ति को समाप्त करते हुए उच्च स्तरीय जाँच कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	क्रमांक 1–3 से स्वतः स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:– वि0स0(अ0सू)–26 / 19 229 / एम0, राँची, दिनांक– 04-2-19

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1049 दिनांक 31.01.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/2/19

सरकार के अवर सचिव

(122)

425
04/02/2019

श्रीमती गीता कोड़ा, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-11

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई अबतक प्रारंभ नहीं किये गये है ;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों (वर्ग 01-05) में भाषा हेतु विषयवार पदों का सृजन नहीं किया गया है। "झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012" (यथा संशोधित) के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) हेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम अधिसूचित है, जिसके अनुसूची-01 जिलावार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है। उक्त भाषा में अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होती है, जिससे प्रारंभिक विद्यालय के सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्ति संबंधित जिले के जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाने में सक्षम होते है। कक्षा 01 एवं 02 में तीन क्षेत्रीय भाषा यथा बंग्ला, उर्दू एवं उड़िया तथा 05 जनजातीय भाषा यथा संताली, मुंडारी, हो, खड़िया एवं कुडुख भाषा के लिए पाठ्य पुस्तक विकसित किया गया है तथा चिन्हित विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषाओं का पठन-पाठन संचालित है। 2. राज्य के मध्य विद्यालय (वर्ग 6-8) के लिए भाषा के पदों का सृजन किया गया है, जिसमें भाषावार पदों का वर्गीकरण उर्दू को छोड़कर नहीं है। उर्दू शिक्षक का पद सृजित है। इस पर नियुक्ति होती है। 3. राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 09-10) में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के विषयों में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति नियमित की जा रही है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0	विषय	वर्ष 2010		वर्ष 2015		विज्ञप्ति संख्या-21/2016 द्वारा अधियाचित पद
		अधियाचित	नियुक्त सहायक शिक्षक	अधियाचित	नियुक्त सहायक शिक्षक	
1	उर्दू	81	47	134	78	448
2	उड़िया	4	4	12	7	18
3	बंगला	45	32	26	10	156
4	नागपुरी	--	--	16	5	50
5	पंचपरगनियाँ	--	--	16	0	11
6	कुरमाली	--	--	19	8	22
7	मुण्डारी	47	3	22	5	65
8	खड़िया	--	--	19	1	6
9	उराँव/कुडुख	69	6	22	17	99
10	हो	52	0	22	4	49
11	संथाली	14	10	19	13	236
12	खोरठा	--	--	16	4	146
	कुल योग	312	102	343	152	1306

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञप्ति संख्या-21/2016 के आलोक में अभी तक संथाल परगना प्रमण्डल के सभी 6 जिला एवं पलामू प्रमण्डल के 1 जिला की अनुशंसा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई जिला स्तर पर की जा रही है। शेष 17 जिलों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने तथा नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात् विज्ञप्ति संख्या-21/16 द्वारा अधियाचित कुल

		1306 पदों के विरूद्ध प्रश्नगत् विषयों में नियुक्त सहायक शिक्षकों की वास्तविक संख्या स्पष्ट की जायेगी। 4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP(PIL)-3547/2016 दिनांक 29.06.2018 द्वारा आदेश पारित है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की समिति आवश्यकता का आकलन करने के लिए स्वतंत्र है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित विषय पर कईबार सरकार द्वारा घोषणा किये जाने के बावजूद पहल नहीं हुयी जिसके कारण सूबे में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं का विकास सह संरक्षण-सम्बन्धन में लगातार अवरोध पैदा हो रही है ;	कंडिका-1 में उत्तर सन्निहित।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1 एवं 2 में वर्णित विषय की गंभीरता के मद्येनजर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका-1 में उत्तर सन्निहित।

04/02/2019
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स.01-29/2019 425 राँची, दिनांक 04/02/2019

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02/2019
सरकार के अवर सचिव।

(123)

प्रो0 स्टीफन मराण्डी, स0वि0सं0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.02.2019 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि फरवरी–2017 में 70 करोड़ से ज्यादा खर्च पर आयोजित मोमेंटम झारखण्ड ग्लोबल इन्भेस्टर्स समिट के पहले और बाद में छः लाख लोगों को प्रत्यक्ष वं अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया कराने हेतु 3.10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावित निवेश के साथ झारखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न कम्पनियों के साथ कुल 268 एम0ओ0यू0 हुए थे;	आंशिक स्वीकारात्मक। मोमेंटम झारखण्ड ग्लोबल इन्भेस्टर्स समिट के दौरान झारखण्ड सरकार तथा विभिन्न कम्पनियों के साथ कुल 210 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर हुये, जिसमें प्रस्तावित निवेश रू0 310287.32 करोड़ तथा प्रत्यक्ष रोंजगार 2,10,176 है।
2	क्या यह बात सही है कि मई, अगस्त एवं दिसम्बर–2017 में आयोजित ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 200 कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित 6269 करोड़ के निवेश हेतु सरकार द्वारा इच्छित जमीन का पट्टा दिये जाने के बाद भी मात्र 55 कम्पनियाँ ही अभी तक प्रारम्भिक कार्य की शुरू कर सकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिसम्बर 2017 तक आयोजित ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में कुल 198 कम्पनियॉ शामिल हुये जिसका प्रस्तावित निवेश रू0 6402.38 करोड़ है। उक्त कम्पनियों में से 25 कम्पनियों के द्वारा उत्पादन शुरू कर दी गई है। 70 विभिन्न कम्पनियों के द्वारा प्रारम्भिक कार्य शुरू की जा चुकी है तथा शेष प्रक्रिया में है।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार की उदासीनता एवं अधिकारियों के इन्डस्ट्रीज फेंडली नहीं होने के कारण झारखण्ड एक कोरियाई कम्पनी द्वारा 7000 करोड़ के निवेश से वंचित रहा;	अस्वीकारात्मक। एम0 ओ0यू0 की गयी सभी इकाईयों का क्रियान्वयन/उत्पादन प्रारंभ नहीं होती है और कुछ इकाईयों के प्रस्ताव का फलाफल प्राप्त नहीं हो सका है। मोमेंन्टम झारखण्ड के बाद Ground Breaking समारोह करते हुए अभी तक कुल–492 इकाईयों का निर्माण/स्थापना प्रक्रिया में है। कुछ इकाईयों द्वारा उत्पादन शुरू किया जा चुका है। इसमें अनेक देशी एवं विदेशी कंपनी शामिल है। उठाये गये प्रश्न में कोरियाई कंपनी के नाम स्पष्ट/उल्लेख किये जाने के बाद भी विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुल हुए एम0ओ0यू0 का अद्यतन स्थिति बतलाते हुए जनहित में कोई सकारात्मक पहल करने का इरादा रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यो?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/अ0सू0 प्रश्न–03–11/2019 259 राँची, दिनांकः–02/02/19

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–981 दिनांक–29.01.2019 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/2/19
सरकार के संयुक्त सचिव

124

श्रीमती गीता कोड़ा, स०वि०स० द्वारा दिनांक 05.02.2019 को पूछा जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या –14 का प्रश्नोत्तरः

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 24 जिलों में जिला खेल पदाधिकारी (DSO) की नियुक्ति प्रक्रिया 2 वर्ष पहले प्रारंभ हुयी थी, परन्तु आजतक नियुक्ति नहीं हो पाई है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की भरमार है जिन्हें दिशा देने के लिए खण्ड–1 में वर्णित DSO (Disrtict Sports Offices) का होना जरूरी है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि खेलों में ग्रामीण युवा प्रतिभाओं को आगे लाने हेतु सरकार उदासीन बनी हुयी है;	3.	अस्वीकारात्मक राज्य के सभी जिलों में कार्यपालक दण्डाधिकारी को जिला खेल पदाधिकारी के रूप में मनोनित किया गया है और उनके माध्यम से कमल दलब के सदस्यों द्वारा ग्रामीण युवा प्रतिभाओं को खेल में आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण युवकों एवं युवतियों को खेल में बढ़ावा देने के लिए 100 डे–बोर्डिंग सेन्टर, 30 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र, 1 सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स (तीरंदाजी) चलाया जा रहा है। हॉकी, फुटबॉल एवं एथलेटिक्स के 3 सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स का संचालन भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त होटवार में Mega Sports Complex में ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित विषय के आलोक में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा DSO (Disrtict Sports Offices) के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया चल रही है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 25 / 2019....212..... **/ राँची, दिनांक**....31-01-2019.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–680 / वि०स०, दिनांक–20 / 01 / 2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जितेन्द्र

jharkhand tourism
Nature's hidden jewel

उत्तरयुक्त

125. श्री शिवशंकर उराँव--क्या मंत्री, उच्च, तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के टाना भगत परिवार के 60 विद्यार्थियों को राज्य के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में सरकारी खर्च पर रोजगार परक शिक्षा दिलायी जा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य का आदिम जनजाति समुदाय लुप्त प्राय समुदाय है और इस समुदाय के गिने चूने विद्यार्थी ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पा रहे है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आदिम जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को भी सरकारी खर्च पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में रोजगार परक शिक्षा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--

(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । वर्ष-2001 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड के 8 PVTG (असुर, बिरहोर, सबर, बिरजिया, कोरबा, परहइया, माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया) की कुल आबादी 2,23,336 थी । इनकी जनसंख्या में 30.9 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई है ।

(3) वर्तमान में राज्य सरकार का इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है ।